

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एक4 (29)आकाशि/नि.सं./2019/

228

दिनांक- 12/7/2019

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा एतसंबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी सद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2019-20 से 2021-2022 (तीन सत्र) तक स्नातक स्तर पर मधीन निजी महाविद्यालय संचालन हेतु अस्माई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों को साथ प्रदान किया जाऊ है-

संस्था संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	संकाय व विषय
अर्जुन शिक्षा एवं अनुसंधान समिति, कुचागन सिटी, नागौर।	अर्जुन कॉलेज, मेगा हाईवे कुचागन बाईपास, कुचागन सिटी, नागौर।	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।	अनिवार्य विषयों सहित- स्नातक स्तर पर कला संकाय- अंग्रेजी साहित्य, भूगोल, हिन्दी साहित्य, इतिहास, राजनीति विज्ञान। विज्ञान संकाय- भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, प्राणिशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, गणित।

1. संस्था अस्माई अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त प्रत्येक सत्र हेतु निम्नानुसार यह वार्षिक बुल्क आवेदन करेगी।
2. संस्था सत्र 2022-23 में निर्धारित अवधि में निम्नानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र अभिद्वि हेतु आवेदन करेगी।
3. संस्था किराए के भवन में संचालित महाविद्यालय हेतु प्रथम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति परन्तु तीन सत्रों में मानकानुसार खर्च को भूनि पर खर्च के भवन पर निर्माण पूर्ण करेगी।
4. संस्था द्वारा राबि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 6 वर्ष में नवीनीकरण करना उचित अनिवार्य होगा।
5. आवश्यकानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिष्ठाता अधिसूची द्वारा महाविद्यालय का निर्माण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिष्ठाता अधिसूची प्राप्त प्राप्त गया अभिलेख उपलब्ध करावेगी।
6. संस्था संबन्धित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा उचित महाविद्यालय के प्रकरण में सी0सी0आई0 से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
7. संस्था प्रथम अस्माई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् महाविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यतापारी प्राचार्य, संबन्धित विषयों के व्याख्याता, मुस्ताफ़ुल्लाख एवं पी.टी.आई. तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यतापारी अशैक्षिक स्टाफ की नियुक्ति पुनिश्चित करेगी।
8. संस्था संकाय व विषयवस्तु सीटों का अधिष्ठान विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तद संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
9. राज्य सरकार की महाविद्यालय प्रवेश नीति 2019-20 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
10. संस्था प्रति वर्ष विभागीय की वेबसाइट www.hte.rajasthan.gov.in से सार्वजनिक पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरण प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनाये भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
11. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल www.aicse.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format-II) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् महाविद्यालय इसकी हार्ड कॉपी आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगा।

उपरोक्त शर्तों को पालन नहीं करने पर अस्माई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

आयुक्त

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निशिक्ष सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिजा कलेक्टर, नागौर।
4. कुल सचिव महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
5. सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय।
6. सार्वजनिक शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. उचित पत्रावली।

संयुक्त-निदेशक (नि0सी0)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर



क्रमांक: एफ4 (29)आकाशि/नि.सं./2019/

1195
आदेश

दिनांक:- 21/12/2022

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत सत्र 2022-23 (एक सत्र) के लिए स्नातक स्तर पर पूर्व संचालित संकाय/विषय में अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है-

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	संकाय व विषय
अर्जुन शिक्षा एवं अनुसंधान समिति, कुचामन सिटी, जिला- नागौर।	अर्जुन कॉलेज, मेगा हाईवे, कुचामन बाईपास, श्रवणपुरा, कुचामन सिटी, जिला- नागौर।	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।	अनिवार्य विषयो सहित स्नातक स्तर पर कला संकाय-अंग्रेजी साहित्य, भूगोल, हिन्दी साहित्य, राजनीति विज्ञान, इतिहास विज्ञान संकाय- रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, गणित, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र।

- संस्था प्रत्येक सत्र में निरीक्षण करवाने हेतु नियमानुसार निरीक्षण शुल्क जमा करवाकर ऑनलाईन प्रपत्र प्रस्तुत करें।
- संस्था अस्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त प्रत्येक सत्र हेतु नियमानुसार मय वार्षिक शुल्क आवेदन करेगी।
- संस्था सत्र 2023-24 में निर्धारित अवधि में नियमानुसार अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र अभिवृद्धि हेतु आवेदन करेगी।
- संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
- आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
- संस्था को समय-समय पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
- संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी0सी0आई0 से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
- संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
- संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं ब्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
- राज्य सरकार की महाविद्यालय प्रवेश नीति 2022-23 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
- संस्था प्रति वर्ष विभाग की वेबसाइट www.hte.rajasthan.gov.in से सांख्यिकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल WWW.aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format-II) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् महाविद्यालय इसकी हार्ड कॉपी आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगा। उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

आयुक्त

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- विशिष्ट सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
- जिला कलेक्टर, नागौर।
- कुल सचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
- सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय।
- रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (नि.सं.)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर



राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (0);

क्रमांक: एफ4 ()आकाशि/नि.सं./2018/ 1399

दिनांक:- 08/11/2023

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत सत्र 2023-24 (एक सत्र) के लिए स्नातक स्तर पर पूर्व संचालित संकाय/विषयों में अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है-

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	संचालित संकाय व विषय
अर्जुन शिक्षा एवं अनुसंधान समिति, कुचामन सिटी, जिला-नागौर।	अर्जुन कॉलेज, मेगा हाईवे, कुचामन बाईपास, श्रवणपुरा, कुचामन सिटी, जिला-नागौर।	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।	अनिवार्य विषयो सहित स्नातक स्तर पर - कला संकाय- अंग्रेजी साहित्य, हिन्दी साहित्य, भूगोल, राजनीति विज्ञान, इतिहास। विज्ञान संकाय- भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित, वनस्पतिशास्त्र, प्राणीशास्त्र।

1. संस्था अस्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त प्रत्येक सत्र हेतु नियमानुसार मय वार्षिक शुल्क आवेदन करेगी।
2. संस्था सत्र 2024-25 में निर्धारित अवधि में नियमानुसार स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करेगी।
3. संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
4. आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
5. संस्था को समय-समय पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशोंकी पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
6. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी0सी0आई0 से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
7. संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
8. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
9. राज्य सरकार की महाविद्यालय प्रवेश नीति 2023-24 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
10. संस्था प्रति वर्ष विभाग की वेबसाइट www.hte.rajasthan.gov.in से सांख्यिकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनार्थ भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
11. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल www.aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format-II) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् महाविद्यालय इसकी हार्ड कॉपी आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगा।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

आयुक्त

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सहायक, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, नागौर।
4. कुल सचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
5. सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय।
6. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

Signature valid

RajKaj Ref
5021020



Digitally signed by संयुक्त - निदेशक, को. सं. राजस्थान, जयपुर
Designation: Joint Commissioner
Date: 2023.11.07 12:28:39 IST
Reason: Approved